सामान्य खरीद दिशानिर्देश (General Procurement Guidelines)

सभी खरीद गतिविधियाँ पूरी तरह से पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जाती हैं। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा जारी **सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR)** और खरीद पुस्तिकाओं (Procurement Manuals) के सख्त अनुपालन में पूरी होती है।

- **ई-प्रोक्योरमेंट अनिवार्य (E-Procurement Mandate):** भविष्य की सभी निविदाएं (Tenders) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित की जाएंगी। बोलीदाताओं (Bidders) को निर्दिष्ट ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी।
- **विक्रेता पंजीकरण (Vendor Registration):** आगामी बोलियों में सुचारू रूप से भाग लेने के लिए संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे **सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP)** और **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)** पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर (Class III DSC) और पंजीकरण (Registration) को अपडेट रखें।
- **अनुपालन (Compliance):** सभी बोलियों का मूल्यांकन संबंधित निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर ही किया जाएगा। यह सभी पात्र प्रतिभागियों के लिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और समान अवसर सुनिश्चित करता है।

बोलीदाताओं के लिए जानकारी (Information for Bidders)

भविष्य के अवसरों के लिए खुद को तैयार रखने के लिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सार्वजनिक खरीद के लिए आवश्यक निम्नलिखित मानक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हों:

1. वैध **स्थायी खाता संख्या (PAN)** और **GST पंजीकरण प्रमाण पत्र**।
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के **आयकर रिटर्न (ITR)** और ऑडिट की गई बैलेंस शीट (जहाँ लागू हो)।
3. **MSME / NSIC** के तहत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए लोक खरीद नीति आदेश के तहत लाभ या छूट का दावा कर रहे हैं)।
4. ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए एक वैध **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC - Class III)**।